भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)
Regional Office (Central Region)

Phone : 763149, 763148
763147, 763384
Fax No.: 763149
बी- 1/72, सेक्टर 'के' अलीगंज,
B-1/72, Sector 'K' Aliganj
लखनऊ-226024
Lucknow-226024

दिनांक / Date 6 अक्टू0, 2000

पत्रावली सं0 / File No. 8बी/04/2074/2000/एफ.सी./

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)
उ0प्र0 शासन
बापू भवन
लखनऊ।

विषय:- जनपद सोनभद्र में 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के खम्भे आदि लगाने हेतु पूर्व में पट्टे पर दी गई 6.394 हे0 वनभूमि की लीज का नवीनीकरण हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 के पक्ष में किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अपने पत्र संख्या 413/14-2-2000-749/72 दिनांक 28.1.2000 का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वनभूमि प्रत्यावर्तन कर उसे गैर वानिकी कार्य के लिए उपयोग में लाने हेतु भारत सरकार से वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत स्वीकृति मांगी गयी है। नोडल अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 16.9.2000 के द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालना प्रेषित की है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2(दो) के तहत जनपद सोनभद्र में 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन के खम्भे आदि लगाने हेतु 6.394 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति गैर वानिकी कार्यों के लिए निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

(1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(2) वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप याचक विभाग के व्यय पर वन विभाग द्वारा दुगुने अवनत वन क्षेत्र अर्थात् 6.394x2=12.788 हे0 में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा।

(3) वन(संरक्षण) अधिनियम के संलग्नक -V के पारेषण लाइनों से सम्बन्धित दिशानिर्देशों का याचक विभाग द्वारा अनुपालना की जायेगी।

(4) याचक विभाग द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रखरखाव के दौरान स्थानीय वनस्पतियों एवं जीवजन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

For Hindalco Industries Limited
(Vivek Kumar)
Authorized Signatory

..../2

§5§ प्रश्नगत वनभूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा ।

§6§ राज्य सरकार द्वारा लगाई गई अन्य कोई शर्त यदि हो तो उसका पालन कि जायेगा ।

भवदीय

§ धर्मेन्द्र प्रकाश §
उप वन संरक्षक §केन्द्रीय§

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक§एफ. सी. §, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, वन उपयोग वृत्त, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, मिर्जापुर ।
4. आदेश पत्रावली ।

§ धर्मेन्द्र प्रकाश §
उप वन संरक्षक §केन्द्रीय§

प्रभारी ...
18/11/2000

15
3RG
29-10-2000

For Hindalco Industries Limited

(Vivek Kumar)
Authorized Signatory)